अति-महत्वपूर्ण

पत्रांक 504 / १००/एस.पी.एम.यू./आर.डी./२०१७

प्रेषक

मिशन निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई,
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में

१. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

२. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

३. समस्त जिला मिशन प्रबंधक,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
उत्तराखण्ड।

एस०पी०एम०यू०, ग्राम्य विकास विभाग देहरादून दिनांक 26 जुलाई, २०१७

विषयः उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्यवन संबंधी परामर्शिका विषयक।

महोदय/महोदया

जैसा आप भिज्ञ है कि राज्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्यवन चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष २०१३-१४ से प्रारम्भ किया गया है। मिशन के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न आदेश/प्रोटोकाल/परामर्शिका आदि, जनपदों/विकासखंडों को जारी की गई है। जिनमें समय-समय पर यथा आवश्यकतानुरूप संशोधन करते हुये तत्संबंधी निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है। एन०आर०एल०एम० के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी विभिन्न आदेश/प्रोटोकाल/परामर्शिका आदि, में समस्त जनपदों /विकासखंडों में एन०आर०एल०एम० के क्रियान्यवन संबंधी आदेशों में एकरूपता तथा समेकित निर्देश उपलब्ध कराने के संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जनपदों को इस हेतु कार्यकारी आदेशों का संकलन मास्टर सर्कुलर के रूप में जारी किया जाय। तथा पूर्व में जारी समस्त आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें। तत्क्रम में निम्नानुसार परामर्शिका निर्गत की जा रही है-

१. एन०आर०एल०एम० के अन्तर्गत यू०एस०आर०एल०एम द्वारा राज्य में एन०आर०एल०एम० कम्प्लाइंट स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुर्नगठन आन्तरिक अथवा वाह्य सी०आर०पी० राउन्ड के माध्यम से किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बार सी०आर०पी०राउन्ड समाप्त होने के पश्चात छूटे हुये लक्षित परिवारों को स्वयं सहायता समूह के फोल्ड में लाने हेतु संबंधित ग्राम संगठनों द्वारा कार्य किया जायेगा।

२. स्वयं सहायता समूहों हेतु लक्षित परिवारों का चयन एस०ई०सी०सी०-२०११ के तहत तैयार सूची से किया जायेगा तथा उक्त परिवार एस०ई०सी०सी०-२०११ के तहत कम से कम एक डिप्रिवेशन मानक वाला होना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

चाहिये। इसके अतिरिक्ति सी०आर०पी०टीम अथवा ग्राम संगठन द्वारा किये गये सहभागिता से गरीबी की पहिचान (पी०आई०पी०) के माध्यम से चिन्हित परिवार भी समूह हेतु लक्षित परिवार होंगे।

३. प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को पंचसूत्र का पालन करना नितांत आवश्यक होगा। पंचसूत्र के तहत **नियमित बैठक,नियमित बचत, नियमित लेन-देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित लेखा-जोखा** किया जाना आवश्यक होगा।

४. पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम ०५ तथा मैदानी क्षेत्रों में कम से कम १० सदस्य एक स्वयं सहायता समूह में होने अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य का ०३ दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से गठन के तत्काल पश्चात किया जाना चाहिये। यू०एस०आर०एल०एम० द्वारा प्रत्येक समूह को अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

५. सी०आर०पी०राउन्ड वाले कार्यक्षेत्र में कार्य के दौरान सक्रिय महिलाओं/सी०आर०पी० टीम की ठहरने की ब्यवस्था संबंधित बी०एम०एम०यू०/विकासखंड जहां सी०आर०पी०राउन्ड संचालित किया जाना है, के द्वारा की जायेगी।

६. यू०एस०आर०एल०एम० के अतिरिक्त अन्य रेखीय विभागों /संस्थानों द्वारा सी०आर०पी० के उपयोग किये जाने की दशा में कार्य की प्रकृति के अनुरूप स्वीकृत मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। समूहों के उच्च स्तरीय परिसंघों के अस्तित्व में आने पर स्वयं उनके परिसंघों द्वारा कार्य की प्रकृति के आधार पर मानदेय/भोजन/टी०ए० आदि की धनराशि निर्धारित की जा सकेगी किन्तु इन परिसंघों के अस्तित्व में आने तक एस०पी०एम०यू०, ग्राम्य विकास द्वारा मानदेय आदि निर्धारित किया जा सकेगा जो कि सी०आर०पी० राउन्ड हेतु निर्धारित मानदेय आदि से किसी भी दशा में न्यून नही होगा। सी०आर०पी०/सक्रिय महिलाओं के ठहरने की ब्यवस्था भी संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

७. सी०आर०पी०राउन्ड के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु सक्रिय महिला /सी०आर०पी० के उपयोग किये जाने हेतु एस०आर०एल०एम०-राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। यद्यपि सामुदायिक काडर के विकसित होने पर सामुदायिक काडर हेतु तैयार नियमावली के अनुरूप ही सामुदायिक काडर द्वारा कार्य किया जायेगा तथा बी०एम०एम०यू० द्वारा तदानुसार ही उनका उपयोग किया जायेगा।

८. पंचसूत्र का नियमित पालन करने वाले स्वयं सहायता समूह को **१२ बैठक के उपरांत यू०एस०आर०एल०एम० द्वारा परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फंड) उपलब्ध कराया जायेगा।** ऐसे स्वयं सहायता समूह जिसमे ०५-१० संख्या तक सदस्य हों उन्हे रू० १०,०००/- प्रति समूह तथा जिसमे ११ अथवा उससे अधिक सदस्य हो, उन्हे रू० १५,०००/- प्रति समूह रिवाल्विंग फंड दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष २०१७-१८ से तदानुसार यथा-निर्धारित सीमा के तहत प्रत्येक समूह को आर०एफ० अवमुक्त किया जाये।

९. **२४ से २६ नियमित बैठक होने के उपरांत प्रत्येक समूह, एन०आर०एल०एम० के तहत सामुदायिक निवेश निधि (सी०आई०एफ०) प्राप्त करने के हकदार होंगे।** प्रत्येक पात्र स्वयं सहायता समूह को उनके **माइक्रोक्रेडिट प्लान** (एम०सी०पी०) के आधार पर मिशन द्वारा अधिकतम रू० १,१०,०००/- प्रति समूह सी०आई०एफ० दिया जायेगा जबकि एम०सी०पी० की अवशेष धनराशि बैंक ऋण तथा अन्य राज्य पोषित योजनाओं के साथ अभिसरण से प्राप्त की जायेगी। माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाने हेतु सामुदायिक काडर से मास्टर ट्रेनर भी तैयार किये जायेंगे। जब तक मास्टर ट्रेनर्स तैयार होते है तब तक बी०एम०एम०यू० स्टाफ द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार कराने में समूहों की मदद की जायेगी। माइक्रो क्रेडिट प्लान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जायेगा। उक्त प्रपत्र विकासखंड/बी०एम०एम०यू० स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। सी०आई०एफ० वित्तीय वर्ष २०१७-१८ से ग्राम संगठनों के माध्यम से ही देय होगा।

१०. अनु०जाति/अनु०जनजाति तथा दिब्यांग (पी०डब्लू०डी०) के समूहों के मामले में सी०आई०एफ० की धनराशि उक्त निर्धारित धनराशि का ५० प्रतिशत अधिक सीमा तक दी जा सकती है। पी०वी०टी०जी० समूहों के मामले में यह धनराशि उपर्युक्त निर्धारित सीमा का दुगना तक दिया जा सकता है।

११. ग्राम संगठन अस्तित्व में आने पर प्रत्येक ग्राम संगठन को रू० १,५०,०००/-प्रति ग्राम संगठन की दर से वी०आर०एफ० दिया जायेगा। इस हेतु भारत सरकार द्वारा जारी वी०आर०एफ०/वी०आर०पी० प्रोटोकाल का उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक वी०आर०एफ० दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त ६० प्रतिशत देय होगा जबकि अवशेष धनराशि द्वितीय किस्त में देय होगी। इसका उपयोग ग्राम संगठन द्वारा खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, बीमारी/अस्पातल भर्ती, प्राकृतिक आपदा आदि से ग्रस्त परिवार/समुदाय हेतु किया जा सकता है। इस फण्ड का मुख्य उदेश्य उस ग्राम के संकटग्रस्त लोगों/समूहों सहायता समूहों के सदस्य/उस ग्राम सभा के गैर स्वयं सहायता समूहों सदस्यों/बेसहारा की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसका उपयोग व्यक्तिगत/सामूहिक रुप में किया जा सकता है।

१२. मिशन द्वारा वी०ओ० को वी०आर०एफ० की प्रथम किस्त अवमुक्त करने संबंधी मानक-

ग्राम संगठन/वी०ओ० कम से कम तीन माह का हो चुका हो तथा सक्रिय हो जिसमें बैंक खाता, नियमित बैठक, शासी निकाय का गठन, अभिलेखीकरण तथा सुब्यवस्थित अभिलेखों का लेखन एवं रखरखाव आदि किया जा रहा हो।वी०आर०एफ० के प्रबंधन हेतु पृथक बैंक खाता खोला जायेगा।वी०ओ०द्वारा वी०आर०एफ०उपसमिति गठित कर दी गई हो एवं वी०आर०एफ०प्रबंधन का प्रशिक्षण हो चुका हो।

१२.१ मिशन द्वारा वी.ओ. को वी०आर०एफ० की द्वितीय किस्त अवमुक्त करने संबंधी मानक :-

१२.१.१ वीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रथम किस्त का कम से कम ६० प्रतिशत की धनराशि समूह के सदस्य अथवा अन्य उस ग्राम सभा के संकटग्रस्त परिवारों को दिया गया हो।

१२.१.२ संकटग्रस्ता से उभारने हेतु एक-दो ऐसे क्रियाकलापों का क्रियान्वयन, जैसे एक मुट्ठी चावल, अनाथ, बुजर्गो आदि, जो की समूहों में नहीं है हेतु सहायतार्थ क्रियाकलाप करना।

१२.१.३ ग्राम संगठन का उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम/अन्य पंजीकरण अधिनियम यथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम आदि में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

१२.२ वी०आर०एफ० अवमुक्ति प्रक्रिया :-

१२.२.१ वीओ को प्रथम किस्त एस०आर०एल०एम० द्वारा पात्र ग्राम संगठनों की मांग के आधार पर दिया जायेगा। मांग प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर एस०आर०एल०एम० द्वारा वी०ओ० को उक्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

१२.२.२ वी०ओ० को द्वितीय किस्त अवमुक्त करने से पूर्व पात्र ग्राम संगठन द्वारा अपने ग्राम सभा का वीआरपी तैयार कर कलस्टर स्तरीय फेडरेशन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सी०एल०एफ० द्वारा उक्त प्लान बी०एम०एम०यू० को उपलब्ध कराया जायेगा। सीएलएफ की अस्तित्व में न होने पर ग्राम संगठन द्वारा उक्त प्लान सीधे बीएमएमयू को प्रेषित किया जायेगा। वीआरपी निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जायेगा। उक्त प्रपत्र सम्बन्धित बीएमएमयू के पास उपलब्ध रहेगें ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

१३. एम०सी०पी० हेतु निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रत्येक समूह का माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार किया जायेगा। जब तक माइक्रो क्रेडिट प्लान हेतु सामुदायिक काडर विकसित नही किया जाता तब तक बी०एम०एम०यू०टीम तथा रिसोर्स पूल का उपयोग इस हेतु किया जायेगा।

१४. विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक संगठनो का निर्माण, बैठकें, नियम, क्रेडिट लिंकेज, कन्वर्जेस आदि का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी परामर्शिका/निर्देशानुसार ही किया जाये।

१५. एस०एच०जी/वी०ओ०/सी०एल०एफ० को स्टार्टअप फंड निम्नानुसार देय होगा-

क्र. सं.	लागत मानदण्ड (एस०एस०जी० निर्माण पर केवल एक बार)	इकाई	कुल लागत (रू.)
१	एस०एच०जी अभिलेख, स्टेशनरी (मुहर,पैड,बक्सा, स्टेशनरी आदि),अन्य वस्तुये।	एकमुश्त	१,५००.००
	एस०एच०जी अभिलेख		१,०००.००
	कुल		२,५००.००
	ग्राम संगठन हेतु		
क्र.सं.	**लागत मानदण्ड**	**इकाई**	**कुल लागत (रू.)**
क	**अनावर्ती ब्यय (ग्राम संगठन के निर्माण पर एक बार देय धनराशि)।**	एकमुश्त	
१	ग्राम संगठन हेतु आवश्यक सामाग्री जैसे नाम का बोर्ड,कुर्सी,मेज,आलमारी,दरी आदि ।		२५,०००.००
२	पी०आई०पी० करने तथा उसके अभिलेखीकरण हेतु		१०,०००.००
ख	**आवर्ती ब्यय (दो वर्षो हेतु)**		
१	वी०ओ० अभिलेख-रजिस्टर क्रय, लेखा अनुरक्षण, कार्यलय किराया, ग्राम संगठन के बुक कीपर का मानदेय ,बिजली-पानी का बिल, बैठक, स्टेशनरी एवं अन्य आवर्ती ब्यय आदि हेतु (रू० २५००० प्रथम वर्ष तथा रू० १५००० द्वितीय वर्ष के लिये)। एक ही किश्त में देय होगा।		४०,०००.००
	कुल		७५,०००.००
	कलस्टर फेडरेशन हेतु		
क्र.सं.	**लागत मानदण्ड**	**इकाई**	**कुल लागत (रू.)**
क	**अनावर्ती ब्यय (कलस्टर फेडरेशन के निर्माण पर एक बार देय धनराशि)।**		
१	कलस्टर फेडरेशन हेतु आवश्यक सामाग्री जैसे सरकारी कार्यालय भवन प्राप्त होने की दशा में मरम्मत हेतु,, सी०एल०एफ० का नाम का बोर्ड, कुर्सी,मेज,आलमारी,दरी,सफेद बोर्ड,,अभिलेख आदि	एकमुश्त	५०,०००.००
ख	**आवर्ती ब्यय (दो वर्षो हेतु)**		
१	सी०एल०एफ०लेखाकार का मानदेय,वी०ओ० अभिलेख-रजिस्टर क्रय, लेखा अनुरक्षण, कार्यलय किराया, ,बिजली-पानी का बिल, बैठक, स्टेशनरी एवं अन्य आवर्ती ब्यय आदि हेतु ०३ वर्षो के लिये घटते क्रम में (रू० १,५०,००० प्रथम वर्ष तथा रू० १,००,००० द्वितीय वर्ष के लिये तथा रू० ५०,००० तृतीय वर्ष में)। एक ही किश्त में देय होगा।	एकमुश्त	३,००,०००.००
	कुल		३,५०,०००.००

१६. राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय/विकासखंड/ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशाला/इमर्सन, आंतरिक सी०आर०पी० राउन्ड में प्रतिभाग तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली बैठकों/कार्यशालाओं आदि पर होने वाला ब्यय भार की अधिकतम सीमा निम्नानुसार की जाती है-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

क्षेत्र/स्थान	कार्य प्रकृति	अधिकतम लागत /प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन (रुपये में)	अभ्युक्ति
राज्य के बाहर	आवासीय इमर्सन तथा अध्ययन भ्रमण/फील्ड विजिट	४०००.००	आवास/भोजन, प्रशिक्षण सामाग्री, रिसोर्स शुल्क जो कि सी०बी०ओ० को देय हो, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
	गैर-आवासीय	२०००.००	प्रशिक्षण सामाग्री, रिसोर्स शुल्क जो कि सी०बी०ओ० को देय हो, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
राज्य मुख्यालय स्तर पर	आवासीय इमर्सन तथा अध्ययन भ्रमण/फील्ड विजिट	२०००.०००	आवास/भोजन, प्रशिक्षण सामाग्री, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
	गैर-आवासीय	६५०.००	प्रशिक्षण सामाग्री, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
विकासखण्ड/ संकुल (कलस्टर) मुख्यालय स्तर पर	आवासीय इमर्सन तथा अध्ययन भ्रमण/फील्ड विजिट	५००.००	आवास/भोजन, प्रशिक्षण सामाग्री, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
	गैर-आवासीय	३००.००	प्रशिक्षण सामाग्री, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
ग्राम स्तर	गैर-आवासीय	१५०.००	प्रशिक्षण सामाग्री, प्रशिक्षण हाल का किराया, अन्य ब्यय (प्रशिक्षण दिनो हेतु स्थानीय यातायात हेतु वाहन किराया, अन्य ब्यय)
एस०एच०जी०	गैर-आवासीय	२५.००	एस०एच०जी० की बैठक में समूह सदस्यों की प्रशिक्षण लागत।

नोट-

- *उक्त लागत में यात्रा ब्यय सम्मिलित नही है। जो कि यू०एस०आर०एल०एम० के नियमानुसार देय होगे।*
- *उपरोक्त समस्त श्रेणियों में अनुमन्य धनराशि की अधिकतम सीमा प्राविधानित की गई है, वास्तविक भुगतान निर्धारित सीमा से कम जो भी न्यून हो, देय होगा जिसका नियमन यू०एस०आर०एल०एम०-राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा।*

१७. स्वयं सहायता समूहों/ग्राम संगठनो/ कलस्टर संगठनों /सामुदायिक काडरों (सी०सी०) एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स का प्रशिक्षण एक नितांत आवश्यक घटक है, इस हेतु यू०एस०आर०एल०एम० द्वारा समस्त स्टेकहोल्डर्स के लिये तैयार किये गये प्रशिक्षण माड्यूल्स के अनुसार किया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

१८. समुदायिक काडर का निर्माण, मिशन का एक प्रमुख घटक है। सामुदायिक काडर का मुख्य कार्य सामुदायिक संगठनों (सी०बी०ओ०) का निर्माण, उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास, सामुदायिक संगठनों के बही खाते तथा लेखा परीक्षा सेवाये प्रदान करना,माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करने का प्रशिक्षण तथा तैयार कराने में सहयोग, बैंक क्रेडिट लिंकेज तथा माइक्रो इंश्योरेन्स की सेवाये प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की आजीविका सहायता सेवाये प्रदान करना, जेन्डर, खाद्य-पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल,स्वच्छता गतिविधियों संबंधी सेवाये प्रदान करना, सामुदायिक संगठनों के प्रबंधन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना आदि है। सामुदायिक काडर विकास हेतु सामान्य योग्यता सक्रिय महिला/सी०आर०पी० प्रोटोकाल में प्राविधानित है।

१९. पूर्व में ही सक्रिय महिला तथा सी०आर०पी० नीति राज्य में प्रभावी है, जिसका उपयोग काडर विकास में किया जायेगा। सक्रिय महिला का चिन्हांकन आन्तरिक अथवा वाह्य सी०आर०पी० टीम द्वारा किया जाना चाहिये। चयन हेतु मानदण्ड निम्नानुसार होंगे-

१९.१ सक्रिय महिला ऐसे एन०आर०एल०एम० कम्पलाइंट स्वयं सहायता समूह से होनी चाहिये जो समूह नियमित पंचसूत्र का पालन करता हो तथा महिला में नेतृत्व का गुण हो।

१९.२ गरीब महिलाओं के प्रति सक्रिय महिला की दयालु प्रवृति होनी चाहिये।

१९.३ सक्रिय महिला में अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिये तथा उसे गांव में जाने तथा ठहरने में कोई भी परेशानी नही होनी चाहिये।

१९.४ सक्रिय महिला को १५-३० दिनों तक सी०आर०पी०राउन्ड अथवा इमर्सन हेतु अपने घर से बाहर जाने के लिये तत्पर /तैयार रहना चाहिये तथा इस हेतु परिवार की मुखिया की सहमति होनी चाहिये।

१९.५ सक्रिय महिला कम से कम पांचवी पास होनी चाहिये। ऐसी सक्रिय महिला जो कि अच्छी सामाजिक गतिशीलन करने वाली हो तथा उसे एन०आर०एल०एम० के बारे में अच्छी जानकारी है तो उस हेतु शैक्षिक मानदण्ड में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

१९.६ सक्रिय महिला बैंक डिफाल्टर नही होनी चाहिये।

१९.७ सक्रिय महिला स्वस्थ होनी चाहिये।

१९.८ सक्रिय महिला का गांव के सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वीकार्यता होनी आवश्यक होगी।

१९.९ गरीबतम गरीब/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /विधवा आदि वर्ग की महिलाओं को सक्रिय महिला हेतु वरीयता दी जानी चाहिये।

१९.१० उक्त के अतिरिक्त ऐसी गरीब परिवार की महिला जो सी०आर०पी० राउन्ड के दौरान उस गांव में सक्रिय रूप से सी०आर०पी० टीम का सहयोग करे तथा स्वैच्छिक स्वयं सेवी के रूप में सी०आर०पी०टीम का गरीब परिवारों की पहिचान तथा समूह गठन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे, को सी०आर०पी० टीम द्वारा सक्रिय महिला के चिन्हीकरण पर विचार किया जा सकता है। यह निर्णय सी०आर०पी० टीम का सामूहिक निर्णय होना चाहिए।

१९.११ सी०आर०पी०राउन्ड समाप्त होने के पश्चात सक्रिय महिला द्वारा कम से कम एक माह तक अपने गांव में स्वैच्छिक रूप से नवगठित समूहों को हैंड-होल्डिग सहयोग दिया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

१९.१२ **सक्रिय महिला का मानदेय-** सी०आर०पी०टीम द्वारा सक्रिय महिला के चयन के उपरांत उक्त सक्रिय महिला द्वारा अपने गांव में कम से कम एक माह तक नवगठित स्वयं सहायता समूह को अवैतनिक तथा स्वैच्छिक रूप से सहयोग दिया जायेगा। साथ ही आगामी सी०आर०पी० राउन्ड में सी०आर०पी० टीम के साथ कम से कम १५ दिनों के लिये टैग किया जायेगा। टैगिग के दौरान सक्रिय महिला को निम्नानुसार मानदेय देय होगा जो कि सक्रिय महिला के समूह के माध्यम से देय होगा-

क्रम सं०	विवरण	लागत रू० में
१	प्रति सक्रिय महिला का प्रतिदिन का मानदेय*	१७५.००
२	प्रतिदिन प्रति सक्रिय महिला का भोजन ब्यय (सी०आर०पी०राउन्ड के दौरान अन्यत्र गांव में रात्रि विश्राम करने की दशा में देय)	२००.००
३	बस/स्थानीय वाहन /रेल स्लीपर क्लास का वास्तविक किराया (यदि मिशन द्वारा आने जाने की ब्यवस्था नही की गई हो तो)	वास्तविक सामान्य किराया के आधार पर देय।
४	संस्थागत शुल्क प्रतिदिन (सक्रिय महिला के समूह को देय शुल्क)	१०.००
५	आकस्मिक /विविध ब्यय प्रतिदिन	१०.००

* यह धनराशि मनरेगा के अकुशल श्रमिक के मानदेय पर आधारित है जो कि मनरेगा के अकुशल श्रमिक के मानदेय मे हुयी बृद्धि पर आधारित रहेगी।

२० सक्रिय महिला के कार्यो का समीक्षा सूचकांक -

२०.१ सक्रिय महिला को अपने ग्राम पंचायत मे सभी समूहों की बैठक में प्रतिभाग करना होगा।

२०.२ सक्रिय महिला/महिलाओं को अपने ग्राम में बी०एम०एम०यू०टीम अथवा पी०आर०पी० के सहयोग से छूटे हुये गरीब परिवार की महिलाओं को समूह में जोड़ना होगा।

२०.३ सक्रिय महिला को पी०आर०पी० की मदद से समूह तथा उसके सदस्यों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा।

२०.४ सक्रिय महिला को अपने गांव में समूह गठन में तथा उनके प्रशिक्षण में सहयोग हेतु बी०एम०एम०यू०टीम तथा पी०आर०पी० का सहयोग करना होगा।

२०.५ सक्रिय महिला द्वारा उपरोक्त कार्य केवल तब तक ही अपने गांव में किये जायेंगे जब तक कि उस ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन अस्तित्व में न आया हो। ग्राम संगठन अस्तित्व में आने पर उपरोक्त समस्त उत्तरदायित्व ग्राम संगठन का होगा।

२०.६ सक्रिय महिला के कार्यो की समीक्षा, बी०एम०एम० तथा पी०आर०पी० द्वारा संयुक्त रूप में की जायेगी तदोपरांत निर्धारित प्रारूपों पर अनुसंसा की जायेगी। ग्राम संगठन के अस्तित्व में आने पर सक्रिय महिला के समस्त कार्यो की समीक्षा ग्राम संगठन द्वारा ही किया जायेगा।

२१ सी०आर०पी० हेतु चयन प्रक्रिया, कार्य तथा मानदेय सी०आर०पी० चयन प्रक्रिया-

२१.१ ऐसी सक्रिय महिला जो सी०आर०पी०टीम द्वारा चयनित की गई हो तथा डी-ब्रीफिंग कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया हो।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

२१.२ सक्रिय महिला के समूह द्वारा कम से कम ५० बैठके कर ली गई हों।

२१.३ सक्रिय महिला द्वारा अपने समूह से कम से कम रु. १०,०००-२५,००० तक का सूक्ष्म ऋण लिया गया हो।

२१.४ सक्रिय महिला का चयन किये जाने के उपरांत कम से कम एक माह तक अपने ग्राम पंचायत में अवैतनिक एवं स्वैच्छिक रूप से समूह गठन /प्रशिक्षण आदि कार्य बी०एम०एम०यू० तथा पी०आर०पी० के सहयोग से किया गया हो।

२१.५ कम से कम एक माह तक अपने ग्राम पंचायत में अवैतनिक एवं स्वैच्छिक रूप से समूह गठन /प्रशिक्षण आदि कार्य बी०एम०एम०यू० तथा पी०आर०पी० के सहयोग करने के उपरांत न्यूनतम १५ दिनों तक सी०आर०पी० प्रशिक्षु के रूप में आगामी सी०आर०पी० राउन्ड में टैग हो चुकी हो।

२१.६ टैगिंग के उपरांत सक्रिय महिला का अन्य राज्यों के एन०आर०ओ० में १०-१५ दिनों का इमर्सन हुआ हो।

२१.७ इमर्सन के उपरांत सक्रिय महिला का राज्य में सी०आर०पी० हेतु छः दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण किया गया हो।

२१.८ सक्रिय महिला का स्वयं का समूह पंचसूत्र तथा एन०आर०एल०एम० के सिद्वांन्तों/प्रक्रियाओं का नियमित पालन करता हो।

२१.९ बुक कीपिंग करने वाली सक्रिय महिला तथा अच्छी तरह से सोशल मोबिलाइजर एवं एन०आर०एल०एम० सिद्धांतों की जानकारी रखने वाली सक्रिय महिला को सी०आर०पी० चयन में वरीयता दी जा सकती है। अन्यन्त गरीब/विधवा/एस०सी०/एस०टी/ पी०वी०टी०जी० सक्रिय महिला जो बुक कीपिंग का कार्य कर सकती हो, को शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी।

२१.१० इस प्रकार सक्रिय महिला के चयन के उपरांत सक्रिय महिला द्वारा अपने गांव में एक माह तक अवैतनिक स्वैच्छिक एन०आर०एल०एम० के कार्यो यथा छूटे परिवारों को समूह में जोड़ना आदि कार्य करने के उपरांत कम से कम १५ दिनों तक सी०आर०पी० राउन्ड के साथ टैगिंग होने, एन०आर०ओ० में इमर्सन करने तथा अन्त में छः दिवसीय सी०आर०पी० प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सक्रिय महिला को सी०आर०पी० के दायित्व दिये जायेंगे।

२२ सी०आर०पी० पद से हटाने के मानदण्ड-

२२.१ यदि कभी भी सी०आर०पी० के स्वयं के एस०एच०जी०में यह पाया जाता है कि एस०एच०जी० पंचसूत्र तथा एन०आर०एल०एम० सिद्वांतों का पालन नही करता है तो ऐसे एस०एच०जी० के सी०आर०पी० से सी०आर०पी० का कार्य नही लिया जायेगा।

२२.२ सी०आर०पी० राउन्ड के दौरान यदि सी०आर०पी० का कार्यव्यवहार संन्तोजनक नही पाये जाने की दशा में।

२२.३ सी०आर०पी०टीम तथा बी०एम०एम०यू०टीम के साथ समन्वय सही न होने की दशा में।

२२.४ टीम में आपस में झगड़ा/मार-पीट करने की दशा मे।

२३ सी०आर०पी० राउन्ड में सी०आर०पी० के दायित्व-

२३.१ सी०आर०पी० द्वारा अपने विकासखंड को छोड़कर राज्य के विभिन्न विकासखंडो/जनपदों में तीन सदस्यीय टीम (दो सोशल मोबिलाइजर तथा एक बुक कीपर) के रूप में ग्राम पंचायत में सामाजिक गतिशीलन, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण /पुनर्गठन, बुक कीपिंग तथा गठित/पुनर्गठित समूह

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

के प्रत्येक सदस्य को तीन दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण एवं समूह में लेखा-जोखा करने वाली महिला को बुक कीपर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

२३.२ सी०आर०पी०टीम द्वारा ग्राम पंचायत जहां सी०आर०पी०राउन्ड प्रारम्भ किया गया है, में ट्रांजेक्ट वाक करने तथा प्रत्येक परिवार को आम सभा में उपस्थित होने की सूचना देने के उपरांत आम सभा आयोजित की जायेगी जिसमे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जायेगा। आम सभा में ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को एन०आर०एल०एम० के उद्देश्यों के बारे सी०आर०पी०टीम द्वारा जानकारी दी जायेगी। साथ ही स्वयं की कहानी जिसमे समूह से पूर्व तथा समूह में आने पर स्वयं सी०आर०पी० को क्या फायदे हुए के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जायेगा, तदोपरांत अगले दिन से समूह गठन/पुनर्गठन का कार्य टीम द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा।

२३.३ प्रत्येक समूह को पंचसूत्र की जानकारी दी जायेगी। इस हेतु प्रत्येक समूह के सदस्य को मूलभूत प्रशिक्षण टीम द्वारा दिया जायेगा।

२३.४ एस०ई०सी०सी०सूची के अतिरिक्त सी०आर०पी०टीम द्वारा सहभागिता से गरीबों की पहिचान कर ऐसे सभी परिवारों की सूची बनाई जायेगी जिसे ग्राम सभा से इस आशय से अनुमोदित कराया जायेगा कि उक्त परिवार भी एन०आर०एल०एम० के अन्तर्गत गठित समूह के लक्षित परिवार है, और उन्हे भी समूह में संगठित किया गया है।

२३.५ प्रत्येक गठित/पुनर्गठित समूह में एक बुक कीपर का चिन्हीकरण तथा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

२३.६ सक्रिय महिलाओं का चिन्हीकरण भी सी०आर०पी०टीम द्वारा किया जायेगा। जिसमें अतिगरीब/विधवा/एस०सी०/एस०टी०/पी०वी०टी०जी० को वरीयता दी जायेगी।

२३.७ सी०आर०पी० टीम द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की डायरी तैयार की जायेगी।उक्त प्रगति आख्या को संलग्नक-३ मे प्रारूप में तैयार कर सी०आर०पी०राउन्ड समाप्त होने पर संबंधित बी०एम०एम० को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जो कि अभिलेख के रूप में संबंधित बी०एम०एम०यू० कार्यालय में संरक्षित रहेगा।

२४ सी०आर०पी० का मानदेय-

क्र.सं.	विवरण	लागत रू० में
१	प्रति आन्तरिक सी०आर०पी० का प्रतिदिन का मानदेय*	२५०.००
२	प्रतिदिन प्रति सी०आर०पी० का भोजन ब्यय (सी०आर०पी०राउन्ड के दौरान अन्यत्र गांव में रात्रि विश्राम करने की दशा में देय)	२००.००
३	बस/स्थानीय वाहन/रेल (स्लीपर क्लास का वास्तिविक किराया (यदि मिशन द्वारा आने जाने की ब्यवस्था नही की गई हो तो)	वास्तविक सामान्य किराया के आधार पर देय।
४	संस्थागत शुल्क प्रतिदिन प्रति सी०आर०पी० की दर से (सी०आर०पी० के समूह को देय शुल्क)	३०.००
५	आकस्मिक/विविध व्यय प्रतिदिन प्रति सी०आर०पी०	२५.००

* वर्ष २०१६-१७ को आधार वर्ष मानते हुये १० प्रतिशत वार्षिक मानदेय बृद्धि होगी।

उक्तानुसार मानदेय की धनराशि प्रत्येक सी०आर०पी० को उसके समूह के खाते के माध्यम से समूह द्वारा अपना संस्थागत शुल्क को रोकते हुये देय होगी। ग्राम संगठन के अस्तित्व में आने पर बी०एम०एम०यू०/डी०एम०एम०यू० (जहां सी०आर०पी०टीम द्वारा कार्य किया गया हो) के द्वारा उक्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

धनराशि संबंधित सी०आर०पी० के ग्राम संगठन के खाते में अवमुक्त की जायेगी जिसे संगठन द्वारा संबंधित सी०आर०पी० को अवमुक्त की जायेगी। ग्राम संगठन के माध्यम से मानदेय अवमुक्त किये जाने की दशा में संस्थागत शुल्क जैसा कि मानदेय विवरण के क्रम संख्या -४ में अंकित किया गया है, से रू० २० ग्राम संगठन को तथा रू० १० संबंधित सी०आर०पी० के समूह द्वारा ली जायेगी। मानदेय/भोजन ब्यय तथा विविध ब्यय की धनरशि सी०आर०पी० को संबंधित समूह/ग्राम संगठन द्वारा चैक के माध्यम से ही देय होगी।

२५. सामुदायिक काडर

सामुदायिक काडर की निदर्शी ढांचा (illustrative structure), मुख्य क्रियाकलाप तथा योग्यता का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	कार्य विवरण	सामुदायिक कॉडर का नाम
१	समाजिक गतिशीलन, एस०एच०जी०/ ग्राम संगठन/कलस्टर संगठन का निर्माण	▪ सक्रिय महिलायें ▪ आंतरिक सी०आर०पी० ▪ सीनियर सी०आ०पी० ▪ सामुदायिक फैसिलिटेटर ▪ कलस्टर कोर्डिनेटर ▪ सोशल मोबिलाइजर ▪ फैडरेशन प्रबंधक
२	बुक कीपर /लेखाकार/अंकेक्षक	▪ मास्टर बुक कीपर्स ▪ वी०ओ०लेखाकार/बुक कीपर ▪ सी०एल०एफ०लेखाकार/सी०एल०एफ०/सहायक/समन्वयक ▪ फैडरेशन लेखाकर/ बुककीपर ▪ सामुदायिक अंकेक्षक
३	कृषि आजीविका क्रियाकलाप (प्रशिक्षण सहित)	▪ कृषि सखी ▪ पशु सखी ▪ एन०टी०एफ०पी०-सी०आर०पी० ▪ मत्स्य सखी ▪ उद्योग सखी (वैल्यू चेन हेतु)
४	गैर कृषि आजीविका क्रियाकलाप (प्रशिक्षण सहित)	▪ सी०आर०पी०-उद्यमिता विकास, (ई०सी०आर०पी०)
५	सामाजिक विकास कार्यक्रम तथा युगपितीकरण	▪ स्वास्थ्य तथा पोषण सखी ▪ जेण्डर सखी
६	एम०आई०एस०डाटा एकत्रीकरण तथा सामुदायिक मूल्यांकन	▪ इलेक्ट्रानिक -सी०आर०पी० ▪ टेबलेट दीदी/सी०आर०पी० ▪ सामाजिक अंकेक्षण सी०आर०पी०/सोशल आडिट सी०आर०पी०

२६. वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत सी०आई०एफ० की नियन्त्रक इकाई कलस्टर स्तरीय फेडरेशन है जिनके माध्यम से ग्राम संगठनों की मांग के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को सी०एल०एफ० द्वारा ग्राम संगठनों के द्वारा समूहों को ऋण के रूप में धनराशि अवमुक्त की जायेगी जिसे समूह द्वारा अपने सदस्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कलस्टर स्तर पर एस०आर०एल०एम० द्वारा सी०आई०एफ० बिना किसी ब्याज के

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
उत्तराखण्ड

उपलब्ध कराया जायेगा जिसे सी०एल०एफ० द्वारा ३ प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर ग्राम संगठनों को उपलब्ध कराया जायेगा जबकि ग्राम संगठन द्वारा अपने समूहों को ६ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर समूहों को उपलब्ध कराया जायेगा। समूह द्वारा अपने सदस्यों को पूर्व निर्धारित ब्याज जो कि वर्तमान में लगभग १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर प्रचलित है के अनुसार देय होगा।

२७. बैंक लोन के तहत दिये जाने वाले ब्याज उपादान के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि, राज्य में वर्तमान में केटेगरी -१ के चार जनपद क्रमशः पौड़ी, पिथौरागढ, चमोली तथा बागेश्वर है, जबकि शेष जनपद केटेगरी-२ के अन्तर्गत आच्छादित है। केटेगरी-१ के मामले में प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह चाहे वह एन०आर०एल०एम० के तहत गठित हो अथवा नही, को बैंक द्वारा ७ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ही सीधे लोन (upfront loan) दिये जाने की ब्यवस्था है एवं यथानियमानुसार ऋण जमा करने पर ३ प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है। केटेगरी-२ के जनपदों हेतु एन०आर०एल०एम० के स्वयं सहायता समूहों को लोन वर्तमान पर बैंकों की प्रचलित दर पर दिया जायेगा तथा ७ प्रतिशत से उपर का ब्याज ५.५ प्रतिशत की सीमा तक एस०आर०एल०एम० द्वारा समूहों के खाते में स्वतः अवमुक्त किया जायेगा।

२८. प्रत्येक समूह के सदस्य का आजीविका विकास/परिवार विकास योजना /एम०सी०पी० तैयार करने से पूर्व आजीविका के संबंध में प्रत्येक कलस्टर में आजीविका विकास के विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में कार्यशालया आयोजित की जाये ताकि आजीविका क्रियाकलाप चयन में प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक निर्देश/परामर्शिका आदि, समय -समय पर यथा आवश्यकतानुसार यू०एस०आर०एल०एम०-राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास, द्वारा जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
मिशन निदेशक/प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. संयुक्त सचिव (आर०एच०) ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार,होटल सम्राट,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली।
२. एम०आई०एस०, यू०एस०आर०एल०एम० को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
३. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू०एस०आर०एल०एम०-एस०पी०एम०यू०
ग्राम्य विकास

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

Abbreviations

BMM	Block Mission Manager
BMMU	Block Mission Management Unit
CBOs	Community Based Organizations
CC	Community Cadre
CIF	Community Investment Fund
CLF	Cluster Level Federation
CRP	Community Resource Person
LGs	Livelihoods Groups
LH	Livelihoods
PRIs	Panchayati Raj Institutions
MCP	Micro Credit Plan
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
MIS	Management Information System
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NGO	Non-Government Organisation
NRLM	Natural Rural Livelihoods Mission
NTFP	Non-Timber Forest Products
PIP	Participatory Identification of Poor
PRP	Professional Resource Person
RF	Revolving fund
RSETI	Rural Self-employment Training Institute
SC/ST	Schedule Cast/Schedule Tribe
SECC	Social Economic Caste Censes
SHG	Self Help Group
SLBC	State Level Bankers Committee
TSA	Technical Support Agency
VO	Village Organization
VRF	Vulnerability Reduction Fund